

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०सं०-6/निदे०(PTGS)-31-02/2017-

118

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक- 11.01.18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत आदिम जनजातियों (PTGs) के संरक्षण- सह-विकास योजना के तहत भारत सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त राशि एवं विमुक्त राशि के विरुद्ध Goatery-Breeding-cum-Goat rearing unit (Black Bengal 10+1) Non stall fed के लिए ₹63.41 लाख, One wooden cot and Two Mosquito net के लिए ₹ 31.78 लाख, Bamboo(lacre)Cultivation के लिए ₹41.25 लाख अर्थात् कुल ₹ 136.44 लाख (एक करोड़ छत्तीस लाख चौवालीस हजार) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

2- अनु० जनजाति के लिए भारत व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए उपबंधित राशि से मांग सं०-44 के अन्तर्गत आय-व्ययक शीर्ष 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण- उपमुख्य शीर्ष -02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण- 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- उपशीर्ष-0228-विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास -पी०एफ०एम०एस० कोड-2068 -विपत्र कोड-44-2225027960228- विषय शीर्ष 0228.2101-सामग्री एवं पूर्तिया में ₹ 72.03 लाख एवं 0228.3106- सहायक अनुदान-गैर वेतन में ₹63.41 लाख संलग्न विवरणी के अनुसार विकलनीय होगा।

3- इस योजना के लिए निकासी पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी संबंधित जिला पदाधिकारी होंगे।

4- निकासी एवं व्यय पदाधिकारी,सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राशि का नियमानुसार व्यय करेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करायेगे।

5. वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं में से मंत्रालय के पत्रांक-11022/16/2012-NGO- दिनांक-24.07.2017 के आलोक में स्वीकृति एवं व्यय की स्वीकृति दी जा रही है।

6- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में की जायेगी।

7- भारत सरकार,जनजातीय कार्य मंत्रालय के पत्रांक 11022/16/2012-NGO- दिनांक-24.07.2017 तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा। विषयांकित योजना के अन्तर्गत राशि का व्यय किया जायेगा तथा किसी भी स्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा। नाबार्ड के पत्र सं०-CI'D/892/PLP-17-18/2016-17 दिनांक 21.06.2016 में निहित निदेश के आलोक में राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

8- Goatery-Breeding-cum-Goat rearing unit (Black Bengal 10+1) Non stall fed की योजना से गया, नवादा, कैमूर एवं बांका जिला के बिरहोर, कोरवा, परहिया एवं माल पहाड़िया के परिवारों एवं Bamboo(Iacre)Cultivation की योजना से कटिहार जिला के सौरिया पहाड़िया के परिवारों को आच्छादित किया जायेगा।


9- सभी संबंधित जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की विषयांकित योजना के आलोक में राशि का व्यय किया जाय,साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ली गयी योजनाओं एवं लाभान्वितों का ड्रूप्लीकेशन न हो।

10-स्वीकृति प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृ0 -20/टि0 पर प्राप्त है।


11-संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

12-कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दिया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।



(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक -6/निदे0(PTGS)-31-02/2017-- 118 पटना, दिनांक- 11.01.18
प्रतिलिपि :- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 6/निदे0(PTGS)-31-02/2017- 118 पटना, दिनांक- 11.01.18

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उपविकास आयुक्त/उप निदेशक(मु0)/ संबंधित प्रमंडलीय उपनिदेशक,कल्याण/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/अवर सचिव/सहायक निदेशक (क0)/लेखा शाखा/बजट शाखा/सांख्यिकी कोषांग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6(डी0) /8(डी0) अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 6/निदे0(PTGS)-31-02/2017- 118 पटना, दिनांक- 11.01.18
प्रतिलिपि :-अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को उनके पत्रांक-11022/16/2012-NGO- दिनांक-24.07.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के सचिव।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों
(PVTGs)के संरक्षण सह विकास योजना के तहत स्वीकृत राशि की विवरणी।

(राशि लाख में)

क्रमांक	जिला का नाम	सामाजिक आर्थिक सर्वे 2013 के अनुसार विरहोर, कोरवा, परहिया एवं माल पहाड़िया सौरिया पहाड़िया परिवारों की संख्या	One Woodent Cot and Two Mosquito Nets-Cot @ Rs. 1000/- Mosquito Net @ Rs. 500/-		Goatery-Breeding-cum-Goat Rearing Unit (Black Bengal 10+1) Non stall fed @75000/- per Unit		Bamboo (1 acre) Cultivation @ 55000/-		Total Amount
			Unit	(2101- सामग्री एवं पूर्तिया) Amount	(3106- सहायक अनुदान गैरवेतन) Amount	Unit	(2101- सामग्री एवं पूर्तिया) Amount		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	गया	120	120	2.40	28.16	0	0	30.56	
2	नवादा	42	42	0.84	8.25	0	0	9.09	
3	कैमूर (भभुआ)	59	59	1.18	12.00	0	0	13.18	
4	कटिहार	81	81	1.62	0.00	100	41.25	42.87	
5	बांका	69	69	1.38	15.00	0	0	16.38	
6	किशनगंज	124	124	2.48	0.00	0	0	2.48	
7	मधेपुरा	152	152	3.04	0.00	0	0	3.04	
8	सुपौल	39	39	0.78	0.00	0	0	0.78	
9	पूर्णियां	194	194	3.88	0.00	0	0	3.88	
10	भागलपुर	709	709	14.18	0.00	0	0	14.18	
	कुल योग	1589	1589	31.78	63.41	100	41.25	136.44	

(एक करोड़ छत्तीस लाख चौवालीस हजार रु० मात्र)


सरकार के सचिव।

पत्रांक 118 दिनांक 11.01.18 का अनुलग्नक